इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मई 2015—वैशाख 21, शक 1937

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—चूंकि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1960 (क्रमांक सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1186-5231-चौदह-1, दिनांक 22 फरवरी 1969 द्वारा जबलपुर जिले की सिहोरा, बहोरीबन्द, ढीमरखेड़ा तहसील में स्थित सिहोरा मंडी क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित करने के लिये सिहोरा में मंडी स्थापित किया था.

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से जबलपुर जिले की बहोरीबन्द एवं ढीमरखेड़ा तहसील के विकासखण्ड बाकल, बहोरीबन्द, स्लीमनाबाद, ढीमरखेड़ा, उमरियापान में स्थित समस्त वन एवं राजस्व ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को अपवर्जित कर मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, "उक्त मंडी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को अपवर्जित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2015

क्र. डी-15-9-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. के. त्रिपाठी,** उपसचिव.

Bhopal, the 11th May 2015

No. D-15-9-2015-XIV-3.—Whereas, by this Department Notification No. 1186-5231-XIV-1, dated 22nd February1969 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Agricultural produce Market Act, 1960 (No. 19 of 1960), the State Government have declared in the area of Tehsil Sihora, Bahorinad, Dhimarkheda of District Jabalpur for the purchase and sale of Agricultural Produce Mentioned in the Notification. (here in after referred to as the "said market area").

And, whereas, it is now proposed to alter the limits of the " said market area" by excluding here with the area comprising of tehsil Bahoriband and Dhimarkheda of Development Block Baakal, Bhoriband, Slimnabad, Dhimarkheda and Umariyapan in Jabalpur District. (here in after referred to as the "said area").

Now,therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signyfies its intention to alte the limit of the said market area by Excluding there from the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazattee" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.